न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 21/2023
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/23

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

बजाज हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, शाखा तीसरी मंजिल, लैंडमार्क टावर, जय क्लब के सामने, सी–स्कीम, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेसपोण्डेंट्सः–

1. श्री मनोज कुमार कंसारा निवासी – 247, जवाहर कॉलोनी, नवापादर, परतापुर, बॉसवाडा (ऋणी)
2. श्री देवीलाल कंसारा निवासी – 247, जवाहर कॉलोनी, नवापादर, परतापुर, बॉसवाडा (सहऋणी/ गारंटर)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 12–04–2023

बजाज हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, शाखा तीसरी मंजिल, लैंडमार्क टावर, जय क्लब के सामने, सी–स्कीम, जयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1. श्री मनोज कुमार कंसारा निवासी – 247, जवाहर कॉलोनी, नवापादर, परतापुर, बॉसवाडा (ऋणी) 2. श्री देवीलाल कंसारा निवासी – 247, जवाहर कॉलोनी, नवापादर, परतापुर, बॉसवाडा (सहऋणी/ गारंटर) को दिनांक 26–02–2018 को 10,40,000 (दस लाख चालीस हजार रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 04–10–2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणो के खाते दिनांक 11–10–2021 को कुल बकाया राशि 9,30,837 रू. (नौ लाख तीस हजार आठ सौ सैंतिस) एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थीगणो ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में श्री देवीलाल कंसारा के नाम अचल सम्पत्ति जो ग्राम नवापादर, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा जो माप में 177–7.9 वर्ग मीटर है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके पूर्व में

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

गली 3 फुट चौडी, श्री राम अल्प बचत समिति परतापुर की, पश्चिम में आम रास्ता 20 फुट चौडा, उत्तर में माही केनाल एवं दक्षिण में स्वयं विक्रेता की शेष पडत आबादी भूमि स्थित है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी द्वारा संलग्न राष्ट्रीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में) के पंजीकरण प्रमाण पत्र सं. 09.0127.15 के अनुसार 1987 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29ए के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए बजाज हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड को निर्धारित शर्तो पर आवास वित्त संस्थान का व्यापार प्रारम्भ करने/ करते रहने के लिये प्रमाण पत्र जारी किया है। जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 21–10–2021 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 26.02.2018 को 10,40,000 रुपया ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 20–01–2023 को जारी किये। अप्रार्थीगणो के नोटिस दिनांक 17–02–2023 को बाद तामील प्रस्तुत हुए, अप्रार्थी सं.1 अनुपस्थित रहे, अप्रार्थी सं.2 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार भट्ट अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 24.03.2023 एवं आज [illegible] 4.2023 को अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं.2 [illegible] बार बार रुक रुक कर अप्रार्थीगणो को

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

दिनांक 12-04-2023 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगणो को न्यायहित में पर्याप्त समय दिया जा चुका है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **बजाज हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, शाखा तीसरी मंजिल, लैंडमार्क टावर, जय क्ल**[illegible] को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आव[illegible] पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 12–04–2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner